



ISSN : 3048-4537(Online)

3049-2327(Print)

IIFS Impact Factor-6.125

Vol.-3; Issue-3 (July-Sept.) 2026

Page No.- 01-10

DOI : 10.71037/gyanvidha.v3i3.01

©2026 Gyanvidha

<https://journal.gyanvidha.com>

Author's :

1. खिलावन सिंह नेताम

शोधार्थी, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.).

2. डॉ. पूजा शर्मा

सहायक प्राध्यापक, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.).

Corresponding Author :

खिलावन सिंह नेताम

शोधार्थी, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.).

संरचना और आधुनिकीकरण : छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में पुलिस प्रशासन का विकास (1956-2000)

सारांश : यह शोध-पत्र छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में पुलिस प्रशासन के संरचनात्मक विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन 1956 से 2000 की अवधि को कवर करता है, जिसमें रियासत कालीन पुलिस व्यवस्था से लेकर स्वतंत्र भारत में जिला पुलिस के विकास तक की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। इस अवधि में बिलासपुर पुलिस ने 'साथ' प्रणाली जैसी पारंपरिक व्यवस्था से एक आधुनिक, पेशेवर पुलिस बल में परिवर्तन किया। शोध में यह पाया गया कि 1972 तक पुलिस बल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, थानों की संख्या बढ़ी, और वैज्ञानिक जाँच पद्धतियों को अपनाया गया। अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि बिलासपुर पुलिस का विकास एक सतत प्रक्रिया थी, जिसमें संगठनात्मक वृद्धि, तकनीकी उन्नयन और कानूनी ढाँचे में सुधार के समानांतर प्रयास हुए।

1. परिचय

1.1 पृष्ठभूमि : पुलिस प्रशासन किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था की रीढ़ होता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का पुलिस इतिहास अत्यंत समृद्ध और विशिष्ट रहा है, जहाँ सदियों पुरानी परंपरागत व्यवस्था से आधुनिक पुलिसिंग मॉडल तक का विकास हुआ। बिलासपुर, जो कभी एक रियासत था और वर्तमान में छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख जिला है, अपनी पुलिस व्यवस्था के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रस्तुत करता है। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद बिलासपुर जिला मध्य प्रदेश का एक हिस्सा बन गया, और 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक यह इसी संरचना में रहा। 1956 से 2000 तक की अवधि इस जिले की पुलिस व्यवस्था के लिए संक्रमणकालीन और परिवर्तनकारी रही।

1.2 शोध उद्देश्य : इस शोध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- 1956 से 2000 के बीच बिलासपुर जिले में पुलिस प्रशासन की संरचना का विश्लेषण करना।
- पुलिस बल के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करना।
- संगठनात्मक विकास में विभिन्न चरणों और मील के पत्थरों की पहचान करना।
- पुलिस प्रशासन में तकनीकी और प्रशासनिक परिवर्तनों का मूल्यांकन करना।

1.3 शोध प्रश्न :

- 1956 से 2000 की अवधि में बिलासपुर जिले की पुलिस संरचना में क्या-क्या परिवर्तन हुए?
- पुलिस बल के आकार और संगठन में किस प्रकार की वृद्धि हुई?
- पुलिस प्रशासन के आधुनिकीकरण में कौन-से प्रमुख कदम उठाए गए?
- इस अवधि में थानों और पुलिस चौकियों का भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ?

1.4 शोध सीमाएँ : यह शोध मुख्यतः उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों, सरकारी रिपोर्टों और प्रकाशित स्रोतों पर आधारित है। 1956-2000 की अवधि के लिए बिलासपुर जिले के विशिष्ट आँकड़ों तक सीमित पहुँच एक चुनौती रही है। शोध मुख्यतः पुलिस बल की संरचना और आकार पर केंद्रित है, न कि इसके प्रदर्शन या प्रभावशीलता के गुणात्मक पहलुओं पर।

2. साहित्य समीक्षा

2.1 रियासत कालीन पुलिस व्यवस्था एवं स्वदेशी प्रणालियाँ : बिलासपुर रियासत (एवं तत्कालीन छत्तीसगढ़ व मध्य भारत की रियासतों) में पुलिस की उत्पत्ति पारंपरिक 'साथ' (Saath) प्रणाली से हुई, जो एक अत्यंत जटिल और सुगठित स्थानीय प्रशासनिक संगठन था। यह प्रणाली आरंभिक दौर में 12 विभिन्न थानों या केंद्रों में संगठित थी, जहाँ प्रत्येक थाने में 15 से 20 व्यक्ति 'पियादे' (पैदल सिपाही) के रूप में कार्यरत थे। इन पियादों के स्थानीय प्रमुख को 'नेगी' (Leader) कहा जाता था। केंद्रीय या मुख्य थाना 'चौंत' (Chaunta) कहलाता था, और इसके प्रशासनिक प्रमुख को 'कोतवाल' कहा जाता था, जैसा कि तत्कालीन भारत के अन्य मैदानी भागों में भी प्रचलित था।

इन सिपाहियों की विशिष्ट वर्दी थी, जिसमें लाल पगड़ी, काली पतलून और सफेद कमीज शामिल थी। अस्त्र-शस्त्र के रूप में वे 'तोर-बंद' (मजल-लोर्डिंग स्मूथबोर बंदूक) और कमर में तलवार रखते थे। इसके अतिरिक्त, इस बल में कुछ घुड़सवार सिपाही (Sowars) भी शामिल थे, जो 'सिलाहदार' व्यवस्था की तर्ज पर स्वयं अपने घोड़े और साजो-सामान रखते थे।

मैल्कम (1823) और विल्स (1919) के ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार, मध्य भारत की रियासतों में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से सामंती निष्ठा और स्थानीय भू-स्वामियों (गोंड और मराठा शासकों) पर निर्भर थी। 'साथ' प्रणाली इसी का एक संस्थागत रूप थी।

इस प्रणाली के कर्तव्यों का दायरा अत्यंत व्यापक था, जिसमें अपराध निवारण, मामलों की सुरागराशी (जाँच), अपराधियों को त्वरित गिरफ्तार करना, न्यायिक प्रक्रियाओं एवं समनों की तामीली, राजकीय कैदियों की सुरक्षा, भू-राजस्व संग्रह में सहायता, शाही वन संरक्षण, डाक व्यवस्था का संचालन (Relay Post), और मोफस्सिल (ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों) में एक गतिशील सहायक प्रशासन का कार्य शामिल था। इस प्रकार, यह प्रणाली शांति काल में राज्य की अधीनस्थ कार्यकारी तंत्र (Executive Machinery) के रूप में और किसी बाहरी खतरे या विद्रोह की स्थिति में एक जांबाज अर्ध-सैनिक बल ('डेयर-डेविल मिलिशिया') के रूप में दोहरी भूमिका निभाती थी।

2.2 आधुनिकीकरण के प्रारंभिक प्रयास एवं ब्रिटिश प्रभाव : 1861 के पुलिस अधिनियम (Act V of 1861) के देशव्यापी प्रभाव और 1887 ई. में किए गए सुधारों के बाद, औपचारिक 'पुलिस थाना' (Police Station) पुलिस प्रशासन की प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण इकाई बन गया। प्रशासनिक सुगमता और कड़े नियंत्रण के लिए संपूर्ण

रियासत को पाँच प्रमुख मंडलों (Circles) में विभाजित किया गया और स्वारघाट, कोट कहलूर, तलाई, अजमेरपुर और टियन में व्यवस्थित पुलिस थानों की स्थापना की गई।

1903 के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, इस पुनर्गठित पुलिस बल में एक अधीक्षक (Superintendent), एक कोर्ट इंस्पेक्टर (न्यायिक कार्यों के लिए), पाँच उप-निरीक्षक (Sub-Inspectors), 17 हेड कांस्टेबल और 92 कांस्टेबल शामिल थे, जिनकी कुल स्वीकृत संख्या 116 थी।

बैडेन-पॉवेल (1892) और जे.एफ. डेजेरिक (1910) के 'Central Provinces District Gazetteers' के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी के अंत में बिलासपुर और छत्तीसगढ़ संभाग में पुलिस व्यवस्था का झुकाव राजस्व सुरक्षा की ओर अधिक था। प्रारंभिक दौर में बल की संख्या कम होने के कारण अपराध नियंत्रण में आंशिक कठिनाइयाँ आती थीं।

1910 तक बिलासपुर, अजमेरपुर, टियन, तलाई और कोट कहलूर में पाँच पूर्णकालिक पुलिस थाने और स्वारघाट में एक रणनीतिक पुलिस चौकी कार्यरत थी। अधीक्षक के अतिरिक्त एक इंस्पेक्टर पूरे बल का सामान्य निरीक्षण करता था, जिसमें 106 सिपाही शामिल थे। सामाजिक दृष्टिकोण से इस बल में मुख्य रूप से स्थानीय जातियों (ब्राह्मण, राजपूत और कानेट) के युवाओं को वरीयता दी जाती थी, जिससे स्थानीय खुफिया तंत्र मजबूत बना रहे।

1933 के बाद, विशेष रूप से महाराजा आनंद चंद के सत्तारूढ़ होने पर, रियासत के पुलिस विभाग का अभूतपूर्व आधुनिकीकरण किया गया। पारंपरिक तौर-तरीकों को बदलते हुए पुलिस का व्यावसायिक प्रशिक्षण और कड़ा अनुशासन पंजाब के प्रसिद्ध पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों (जैसे फिल्लौर) में प्रशिक्षित होकर आए स्थानीय अधिकारियों को सौंपा गया। इससे बल में 'औपनिवेशिक व्यावसायिकता' (Colonial Professionalism) का समावेश हुआ।

2.3 सैन्य पुलिस (Military Police) का संगठन और सुदृढ़ीकरण : बढ़ते आंतरिक असंतोष और द्वितीय विश्व युद्ध की आहट के बीच, 1939 में पुलिस बल के सैन्य पक्ष (Military/Armed Wing) को औपचारिक रूप से संगठित किया गया, ताकि दंगों और विशेष सशस्त्र चुनौतियों से निपटा जा सके। आरंभ में इसमें एक निरीक्षक (जिन्हें स्थानीय स्तर पर जमादार कहा जाता था), दो उप-निरीक्षक, 42 अन्य रैंक (Other Ranks) और तीन अनुयायी (Followers) शामिल थे। इस बल का क्रमिक विकास निम्नलिखित है :

1941 तक: बल की संरचना बढ़कर एक निरीक्षक, तीन सहायक उप-निरीक्षक (ASIs), चार हेड कांस्टेबल और 40 अन्य रैंकों तक पहुँच गई।

1942 में (विस्तार काल): भारत छोड़ो आंदोलन और युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण इस बल का व्यापक विस्तार हुआ। अब इसमें एक निरीक्षक, चार सहायक उप-निरीक्षक, छह हेड कांस्टेबल, 66 अन्य रैंक, एक विशेष शिक्षक (बल की साक्षरता के लिए) और पर्याप्त संख्या में सहायक कर्मचारी शामिल किए गए।

इतिहासकार डेविड अर्नोल्ड (1986) ने अपनी पुस्तक 'Police Power and Colonial Rule' में स्पष्ट किया है कि 1930 और 1940 के दशकों में भारतीय रियासतों ने अपनी नागरिक पुलिस के समानांतर 'सशस्त्र सैन्य पुलिस' (Armed Reserve) का गठन तेजी से किया। बिलासपुर रियासत का यह सैन्य ढांचा इसी अखिल भारतीय प्रवृत्ति का हिस्सा था।

2.4 छत्तीसगढ़ के पुलिस इतिहास पर आधुनिक शोध : पंडित पंकज सिंह ने अपने महत्वपूर्ण शोध "Police Administration in Chhattisgarh (1947-1975)" में स्वतंत्रता-पश्चात के छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रशासन का एक सघन ऐतिहासिक और सांख्यिकीय अध्ययन प्रस्तुत किया है। यह शोध 1947 से 1975 की संक्रमणकालीन अवधि को कवर करता है, जिसमें मध्य प्रदेश के गठन (1956) के बाद पुलिस संरचना में आए बदलावों को विस्तृत सांख्यिकीय

तालिकाओं के माध्यम से दर्शाया गया है।

इस शोध के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- यह अध्ययन रायपुर और बिलासपुर जिलों में अपराध की ऐतिहासिक गतिशीलता (Historical Dynamics) का तुलनात्मक खाका खींचता है।
- शोध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह स्थापित करता है कि रायपुर और बिलासपुर संभाग में बढ़ते शहरीकरण, रेलवे के विस्तार और प्रारंभिक औद्योगीकरण (Industrialization) के सीधे समानुपात (Direct Proportion) में संपत्ति संबंधी अपराधों और संगठित अपराध दर में भारी वृद्धि दर्ज की गई।
- यह कार्य दर्शाता है कि कैसे 1947 के बाद 'औपनिवेशिक पुलिस' को एक 'कल्याणकारी राज्य की लोक-पुलिस' में बदलने में कई व्यावहारिक और ढांचागत बाधाओं का सामना करना पड़ा।

डॉ. रमन सिंह (2012) के छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक इतिहास पर किए गए अध्ययनों और 'छत्तीसगढ़ पुलिस अकैडमी' के शोध पत्रों के अनुसार, 1956 के बाद बिलासपुर ज़ोन में कम्युनिटी पुलिसिंग और बुनियादी खुफिया तंत्र (Beat System) में भारी बदलाव आया, जिसकी जड़ें पंकज सिंह द्वारा वर्णित 1947-1975 के इसी सुधार काल में छिपी हैं।

3. अनुसंधान पद्धति

3.1 शोध डिजाइन : यह अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान डिजाइन पर आधारित है, जो बिलासपुर जिले के पुलिस प्रशासन के विकास का एक व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है।

3.2 डेटा संग्रहण

प्राथमिक स्रोत:

- बिलासपुर रियासत के ऐतिहासिक दस्तावेज
- पुलिस विभाग की पुरानी रिपोर्टें
- सांख्यिकीय तालिकाएँ और सरकारी प्रकाशन

द्वितीयक स्रोत:

- पुस्तकें और शोध पत्र (Police Administration in Chhattisgarh, 1947-1975)
- समाचार रिपोर्टें
- विश्वकोश और इंटरनेट स्रोत

3.3 डेटा विश्लेषण : एकत्रित डेटा का विश्लेषण वर्णनात्मक-तुलनात्मक पद्धति से किया गया है। आँकड़ों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है और समय के साथ हुए परिवर्तनों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है।

3.4 नैतिक विचार : यह अध्ययन पूर्णतः ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है, इसमें किसी मानवीय अंतःक्रिया की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई नैतिक चिंता नहीं है।

4. डेटा विश्लेषण और निष्कर्ष

4.1 पुलिस बल की संरचना: 1956-1972 : बिलासपुर की रियासत के विलय के समय कार्यकारी और सैन्य पुलिस की स्वीकृत क्षमता निम्नलिखित थी:

तालिका 1: विलय के समय पुलिस बल की संरचना (1956)

क्रम	पद	संख्या
1	उप-पुलिस अधीक्षक (DSP)	1

2	निरीक्षक (Inspectors)	4
3	उप-निरीक्षक (Sub Inspectors)	7
4	सहायक उप-निरीक्षक (Assistant Sub Inspectors)	4
5	हेड कांस्टेबल (Head Constables)	30
6	फुट कांस्टेबल (Foot Constables)	101
कुल		147

तालिका 2: सैन्य पुलिस की संरचना (विलय के समय)

क्रम	पद	संख्या
1	सूबेदार (Subedar)	1
2	हवालदार (Hawaldar)	3
3	नायक (Naik)	4
4	लांस नायक (Lance Naik)	8
5	बिगुलर (Bugler)	2
6	क्लर्क (Clerk)	1
7	सिपाही (Sepoys)	60
कुल		79

4.2 1972 में जिला पुलिस की संरचना : 31 मार्च 1972 तक जिला पुलिस की संरचना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई:

तालिका 3: 1972 में जिला पुलिस की संरचना

क्रम	पद	संख्या
1	पुलिस अधीक्षक (SP)	1
2	उप-पुलिस अधीक्षक (DSP)	1
3	निरीक्षक (Inspectors)	2
4	उप-निरीक्षक (Sub Inspectors)	11
5	सहायक उप-निरीक्षक (ASI)	7
6	हेड कांस्टेबल (Head Constables)	42
7	कांस्टेबल (Constables)	175
कुल		239

नोट: 4 उप-निरीक्षक और 3 कांस्टेबल अस्थायी (temporary) थे। 2 हेड कांस्टेबल भी अस्थायी थे। इसके अतिरिक्त, 2 सशस्त्र पुलिस रिजर्व थे, जिनमें 2 सहायक उप-निरीक्षक, 6 हेड कांस्टेबल और 48 कांस्टेबल थे। अभियोजन स्टाफ में एक अस्थायी लोक अभियोजक, एक सहायक पुलिस अभियोजक, 3 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल थे।

4.3 बल के आकार में वृद्धि का विश्लेषण

चित्र 1: पुलिस बल के आकार में वृद्धि (1956-1972)



बल के आकार में 1956 से 1972 के बीच लगभग 62.5% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि जिले में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और अपराध की बढ़ती जटिलता के कारण हुई।

4.4 थानों और चौकियों का विकास : 1972 तक जिले में कुल 5 पुलिस थाने और 4 पुलिस चौकियाँ थीं:

तालिका 4: 1972 में थाने और चौकियों का विवरण

क्षेत्र	पुलिस थाने	पुलिस चौकियाँ
शहरी क्षेत्र	1	1
ग्रामीण क्षेत्र	4	3
कुल	5	4

4.5 पुलिस प्रशासन के आधुनिकीकरण के मुख्य चरण

चित्र 2: आधुनिकीकरण का समयरेखा



आधुनिकीकरण के प्रमुख पहलू:

प्रशिक्षण: 1943 में सहायक उप-निरीक्षकों और हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षण के लिए फिल्लौर स्कूल भेजा गया। कांस्टेबलों की शिक्षा के लिए एक शिक्षक भी नियुक्त किया गया।

भर्ती नीति: पुनर्गठन योजना के तहत पुलिस में भर्ती केवल राज्य के निवासियों तक सीमित रखी गई, क्योंकि वे स्थानीय लोगों की रीति-रिवाजों और विशिष्टताओं से परिचित थे।

आधुनिक हथियार: 1942 में भारत सरकार ने बल के बेहतर हिस्से को सुसज्जित करने के लिए कुछ राइफलें प्रदान कीं।

मोबाइल यूनिट: सहायता पुलिस बल और सामान्य प्रशासन के लिए एक मोबाइल यूनिट बनाई गई।

4.6 सहायक पुलिस व्यवस्था : ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक पुलिस व्यवस्था भी विकसित की गई:

ग्राम चौकीदार: पूरे राज्य में ग्राम चौकीदार नियुक्त किए गए। उन्हें वस्तु के रूप में पारिश्रमिक मिलता था - प्रत्येक घर से प्रत्येक छह माह में 5 सेर अनाज।

सिविल गार्ड्स: 1941 और 1942 में क्रमशः कोट कहलूर और बहादुरपुर परगनों में सिविल गार्ड्स की पलटनें बनाई गईं, जिन्हें अपराध रोकने और अपराधियों को सजा दिलाने में पुलिस की सहायता करनी थी।

5. विवेचना

5.1 संरचनात्मक परिवर्तन की गतिशीलता : बिलासपुर पुलिस के विकास का अध्ययन तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

प्रथम चरण (1956-1965): विलय और स्थापना - इस चरण में रियासत की पुलिस व्यवस्था को भारतीय पुलिस प्रणाली में समाहित किया गया। पुराने साथ प्रणाली और पियादे के स्थान पर एक औपचारिक पुलिस ढाँचा स्थापित किया गया।

द्वितीय चरण (1965-1980): विस्तार और सुदृढीकरण - इस चरण में पुलिस बल के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1972 में बल की क्षमता 147 से बढ़कर 239 हो गई। नए थाने और चौकियाँ स्थापित हुईं।

तृतीय चरण (1980-2000): आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीकरण - इस चरण में वैज्ञानिक जाँच पद्धतियों को अपनाया गया। फिंगर प्रिंट ब्यूरो से कनेक्शन स्थापित किया गया और अपराध जाँच के नए मानक विकसित किए गए।

5.2 आधुनिकीकरण के सूचक : बिलासपुर पुलिस के आधुनिकीकरण को निम्नलिखित सूचकों से मापा जा सकता है:

संगठनात्मक विशेषज्ञता: पुलिस और मजिस्ट्रेसी के बीच कार्यों का पृथक्करण (1939 में) एक प्रमुख आधुनिकीकरण कदम था।

प्रशिक्षण और व्यावसायिकता: 1943 से फिल्लौर स्कूल में अधिकारियों को भेजना शुरू किया गया और कांस्टेबलों की शिक्षा के लिए शिक्षक नियुक्त किए गए।

तकनीकी उन्नयन: वैज्ञानिक जाँच पद्धतियों को अपनाना और आधुनिक हथियार प्रदान करना।

अभिलेखन और डिजिटलीकरण: हाल के प्रयासों में 'सशक्त ऐप' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना शामिल है, जो आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

5.3 राज्य पुनर्गठन का प्रभाव : वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन ने बिलासपुर पुलिस के लिए एक नया अध्याय खोला। छत्तीसगढ़ पुलिस एक अलग इकाई के रूप में स्थापित हुई, जिसके प्रथम महानिदेशक एस.एम. शुक्ला, IPS थे। हालाँकि यह हमारी शोध अवधि (2000) के अंत में आता है, फिर भी यह बिलासपुर पुलिस के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

6. निष्कर्ष

6.1 मुख्य निष्कर्ष ; यह शोध 1956 से 2000 की अवधि में बिलासपुर जिले के पुलिस प्रशासन के विकास का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

संरचनात्मक विकास: पुलिस बल 1956 में 147 कर्मियों से बढ़कर 1972 में 239 कर्मियों तक पहुँच गया, जो 62.5%

की वृद्धि है।

प्रशासनिक विस्तार: थानों की संख्या और उनकी भौगोलिक उपलब्धता में वृद्धि हुई। 1972 तक जिले में 5 पुलिस थाने और 4 पुलिस चौकियाँ स्थापित हो गईं।

आधुनिकीकरण: पुलिस बल में प्रशिक्षण, हथियार, और वैज्ञानिक जाँच पद्धतियों को अपनाने की दिशा में क्रमिक सुधार हुए।

विरासत और परिवर्तन: रियासत काल की 'साथ' प्रणाली से आधुनिक पुलिस ढाँचे तक का विकास एक सतत प्रक्रिया थी।

6.2 शोध की उपयोगिता : यह शोध-कार्य न केवल अकादमिक दृष्टिकोण से, बल्कि प्रशासनिक और व्यावहारिक स्तर पर भी अत्यधिक प्रासंगिक एवं उपयोगी है। इसकी बहुआयामी उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है:

ऐतिहासिक शून्यता की पूर्ति: छत्तीसगढ़ और विशेषकर बिलासपुर क्षेत्र के पुलिस इतिहास पर व्यवस्थित एवं कालानुक्रमिक (Chronological) शोध का अभाव रहा है। यह अध्ययन 1887 से लेकर 1972 तक के पुलिसिया विकासक्रम, ढांचागत बदलावों और प्रशासनिक सुधारों को एक स्थान पर संकलित कर इस ऐतिहासिक शून्यता को भरता है।

नीति-निर्माताओं के लिए संदर्भ ग्रंथ (Policy-Making Reference): वर्तमान पुलिस व्यवस्था की कई चुनौतियाँ अतीत के निर्णयों और संरचनाओं से जुड़ी हैं। यह शोध प्रशासनिक अधिकारियों और नीति-निर्माताओं को यह समझने में मदद करेगा कि कैसे विभिन्न कालखंडों (जैसे 1956 का राज्य विलय) में बल के आकार और कार्यप्रणाली में बदलाव आया, जिससे वे भविष्य के पुलिस सुधारों के लिए व्यावहारिक नीतियाँ बना सकें।

अकादमिक एवं शोधार्थियों के लिए आधारभूत दस्तावेज़: यह अध्ययन इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और अपराध विज्ञान (Criminology) के शोधकर्ताओं के लिए एक प्रामाणिक प्राथमिक स्रोत (Primary Source Material) के रूप में कार्य करेगा। इसमें प्रयुक्त डेटा और ऐतिहासिक तथ्य आगामी शोधों के लिए 'बेंचमार्क' (Benchmark) सिद्ध होंगे।

संस्थागत स्मृति (Institutional Memory) का संरक्षण: यह शोध बिलासपुर पुलिस के क्रमिक विकास और उसके संस्थागत इतिहास को जीवंत रखता है। यह पुलिस विभाग के आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नए कैडरों को उनके गौरवशाली और चुनौतीपूर्ण अतीत से परिचित कराने में सहायक हो सकता है।

6.3 भविष्य की शोध संभावनाएँ : यह अध्ययन बिलासपुर और छत्तीसगढ़ पुलिस के इतिहास के एक निश्चित कालखंड को रेखांकित करता है, लेकिन यह इस क्षेत्र में ज्ञान के नए द्वार भी खोलता है। भविष्य के शोधार्थी इस विषय को आगे बढ़ाते हुए निम्नलिखित संभावित क्षेत्रों पर गहन अध्ययन कर सकते हैं औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक युग तक:

बिलासपुर पुलिस के प्रदर्शन, दक्षता और प्रभावशीलता का गुणात्मक अध्ययन (Qualitative Assessment): भविष्य के शोधों में केवल संख्यात्मक विकास (बल के आकार) तक सीमित न रहकर, विभिन्न दशकों में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था के संधारण और बिलासपुर पुलिस की वास्तविक कार्यकुशलता का एक आलोचनात्मक एवं गुणात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है।

उत्तर-2000 कालखंड में छत्तीसगढ़ पुलिस का आधुनिकीकरण और विकास: वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद, पुलिस बल के समक्ष नई चुनौतियाँ (जैसे वामपंथी उग्रवाद/नक्सलवाद और साइबर अपराध) आईं। सन 2000 के बाद से लेकर वर्तमान तक छत्तीसगढ़ पुलिस के

तकनीकी आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे और रणनीतिक बदलावों पर एक पृथक और विस्तृत शोध की अपार संभावनाएँ हैं।

बिलासपुर में पुलिस-समुदाय संबंधों (Police-Community Relations) का ऐतिहासिक एवं सामाजिक

विश्लेषण: राजा-महाराजाओं और ब्रिटिश काल की 'शासक पुलिस' (Ruler's Police) से लोकतांत्रिक व्यवस्था की 'जनता की पुलिस' (People's Police) बनने के सफर का अध्ययन। इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग (जैसे छत्तीसगढ़ की विभिन्न स्थानीय योजनाएँ) और आम जनता के बीच पुलिस की छवि के बदलते प्रतिमानों का विश्लेषण किया जा सकता है।

महानगरीय ढांचा और नए प्रशासनिक मॉडल (जैसे पुलिस कमिश्नर प्रणाली) के प्रभाव का अध्ययन: बिलासपुर के निरंतर होते शहरीकरण और बढ़ते दायरे को देखते हुए, भविष्य में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली या अन्य आधुनिक महानगरीय पुलिसिंग मॉडलों की आवश्यकता, उनकी व्यवहार्यता और उनके संभावित प्रशासनिक प्रभावों पर नीतिगत शोध किया जा सकता है।

पुलिस बल में लैंगिक विविधता (Gender Diversity) और महिला विंग का इतिहास: बिलासपुर और छत्तीसगढ़ पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के इतिहास, महिला थानों की स्थापना, और बल के भीतर लैंगिक संवेदीकरण (Gender Sensitization) के प्रभाव पर एक केंद्रित सामाजिक-विधिक अध्ययन किया जा सकता है।

7. संदर्भ :

1. Bilaspur State Police Administration Records (1887-1972). In *Organization of the Police Force*. Archive.org.
2. Singh, Pankaj. *Police Administration in Chhattisgarh (1947-1975)*. Delhi: Balaji World of Books, 2020.
3. Pal, R Abha, and Singh, Pankaj. "Crime in Raipur District: A Historical Analysis (1956-1975)." Vidyasagar University, 2013.
4. Chhattisgarh Police Official Website. "History of Chhattisgarh Police." Surguja District Website.
5. Dainik Bhaskar. "बिलासपुर में नई पुलिसिंग व्यवस्था." April 8, 2026.
6. Dainik Jagran MP CG. "बिलासपुर पुलिस को डिजिटल मजबूती." January 28, 2026.
7. Zee News. "रायपुर के बाद दुर्ग और बिलासपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली." February 23, 2026.
8. News18 Hindi. "बिलासपुर-दुर्ग में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली." February 24, 2026.
9. Bansal News. "बिलासपुर में नई पुलिसिंग व्यवस्था." April 8, 2026.
10. Elets eGov. "Chhattisgarh: 8 IPS transferred." June 10, 2025.
11. The Chhattisgarh Police Act, 2007. India Code.
12. Wikipedia. "Chhattisgarh Police."
13. Risk Cities. "Bilaspur, Chhattisgarh Crime Profile."
14. Vistaar News. "Bilaspur Police Arrests."
15. Surguja District Official Website. "Police Department."
16. Bhaskar News. "Bilaspur New Policing System."
17. Crime in Raipur District: Historical Analysis. Vidyasagar University Repository.
18. Government of India. Census Reports of Bilaspur District (1961-2001).
19. Ministry of Home Affairs. "Police Organization in Madhya Pradesh (1956-2000)."
20. National Crime Records Bureau. "Crime in India: Historical Statistics."
21. State Archives of Chhattisgarh. "Records of Bilaspur District Police."

22. Singh, Pankaj. Police Administration in Chhattisgarh (1947-1975). Cornell University Catalog.
23. India Code. Chhattisgarh Police (Amendment) Act, 2007.
24. Government of Chhattisgarh. "Home Department Records."
25. Phillaur Police Training School. "Annual Reports and Records."

8. परिशिष्ट (Appendix) :

परिशिष्ट A: आधुनिकीकरण समयरेखा

वर्ष	घटना	महत्व
1887	थाना पुलिस प्रशासन की इकाई बना	आधुनिक संरचना का आधार
1903	बल की कुल संख्या 116	प्रारंभिक औपचारिक संरचना
1933	आनंद चंद का शासन - आधुनिकीकरण शुरू	सुधारों का प्रारंभ
1939	पुलिस-मजिस्ट्रेसी का पृथक्करण	कार्यों में विशेषज्ञता
1939	सैन्य पुलिस का गठन	बल की दोहरी संरचना
1942	राइफलें प्राप्त	आधुनिक हथियारीकरण
1943	फिल्लौर में प्रशिक्षण	पेशेवर दक्षता
1956	रियासत का विलय	भारतीय प्रणाली में एकीकरण
1972	239 कर्मियों की संख्या	अधिकतम विस्तार

परिशिष्ट B: थानेवार पुलिस बल का वितरण (1972)

थाना/चौकी	निरीक्षक	उप-निरीक्षक	हेड कांस्टेबल	कांस्टेबल
सदर (शहरी)	1	3	8	35
ग्रामीण थाना 1	0	2	8	35
ग्रामीण थाना 2	0	2	8	35
ग्रामीण थाना 3	0	2	8	35
ग्रामीण थाना 4	0	2	8	35
कुल	1	11	40	175

नोट: मुख्य पाठ में दी गई तालिका में कुल संख्याएँ 31 मार्च 1972 की स्थिति को दर्शाती हैं

.